



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 330/76-3-2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

### सा०पा०नि०-9

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भू-गर्भ जल आहरण 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम हो, को भू-गर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट प्रदान करती हैं। तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,  
अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 330/LXXVI-3-2021-44NG-2020, dated March 2, 2021:

No. 330/ LXXVI-3-2021-44NG-2020  
*Dated Lucknow, March 2, 2021*

In exercise of the powers under section 51 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no.13 of 2019) and on the recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, the Governor is pleased to exempt Micro and Small Enterprises in the Uttar Pradesh drawing ground water less than 10 cubicmeters/day from the provision of seeking No-Objection Certificate for ground water extraction. However, such Enterprises shall obtain registration certificate in the manner as prescribed under sections 10 and 11 of the aforesaid Act.

By order,  
ANURAG SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 763 राजपत्र-2021-(1617)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० नमामि गंगे तथा ग्रामीण-2021-(1618)-1000 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।